न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/01

छीतर दास आत्मज कालूदास जाति बाबाजी निवासी रघुवीरपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

1. राजेश बाई पुत्री रामरतन पत्नी कविराज जाति बाबाजी निवासी रघुवीरपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. कान्ता बाई विधवा रामरतन जाति बाबाजी निवासी भेसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ ।
3. अनोप बाई पुत्री कालूदास पत्नी जानकी लाल जाति बाबाजी निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. केसर बाई पुत्री कालूदास पत्नी रामलाल जाति बाबाजी निवासी लिलेडा चारणान तहसील तालेडा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बून्दी ।
6. सब रजिस्ट्रार साहब , बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, श्री रविन्द्र सहाय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188, 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिनी के पितामह (दादा) कालूदास जी के निजी स्वामित्व व खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि जिसमें वादिनी व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 का भी हिस्सा निहित है जिसके खसरा नम्बर 67 रकबा 25 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 164 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 167 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रघुवीरपुरा तहसील व जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि में वादिनी व प्रतिवादी क्रम 2 का 1/4 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 4 का 3/4 हिस्सा पृथक – पृथक 1/4 – 1/4 निहित है ।

3. अतः वाद वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादिनी व प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के मध्य हिस्सानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे । वादग्रसत आराजी को जो वादिनी के हिस्से की है उस पर वादिनी द्वारा काश्त करने या कहीं रहन, बय करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कोई रूकावट न स्वयं की जावे न अन्य से करवाई जावे तथा उक्त वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को कहीं रहन अथवा बेचान नहीं किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर वादिनी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया और प्रतिवादी को वादिनी के 1/4 हिस्से पर दखलन्दाजी नहीं करने करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/4 हिस्सा एवं शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादी छीतरदास के बीच मौके पर बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस न्यायालय को भिजवाने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 छीतरदास अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिनी राजेश बाई रामरतन की पुत्री नहीं है और इसलिए वादग्रस्त आराजी में उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । रामरतन लाऔलाद फौत हुआ है और उसकी पत्नी कान्ता बाई नाते चली गई थी इसलिए वादी व प्रतिवादी क्रम 2 कान्ताबाई का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है । रामरतन की मृत्यु दिनांक 30.07.1975 को हुई है यह तथ्य अपीलान्ट द्वारा अपने जवाबदावे की चरण संख्या 2 में अंकित किया गया है । राजेश बाई ने अपनी आयु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे में सन् 2006 में 3 वर्ष बताई है जबकि रामरतन की मृत्यु दिनांक 30.07.1975 को हो गई राजेश बाई उस समय पैदा हीं नहीं हुई थी इससे भी प्रमाणित है कि राजेश बाई रामरतन की पुत्री नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में ग्राम पंचायत हट्टीपुरा के सरपंच द्वारा जारी किया गया पत्र संलग्न है । यह पत्र सरपंच के द्वारा हस्ताक्षरित है और उसमें यह अंकित है कि रामरतन पुत्र कालूदास बैरागी की मृत्यु इनके प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 30.07.1975 को हुई थी इस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत हट्टीपुरा से जारी नहीं हुआ है अगर हुआ होता तो उस समय ग्राम पंचायत नहीं था उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिला, रिकॉर्ड पुष्टि के आधार के लिए उस समय छत्रपुरा ग्राम पंचायत थी और इनका मृत्यु प्रमाण

पत्र नगर पालिका से जारी हुआ है । ग्राम पंचायत से नहीं हुआ है।हुआ है तो उस समय के ग्राम सचिव ने गलत बनाया है उसका दोषी खुद सचिव है । उक्त पेश किया गया दस्तावेज सरपंच के द्वारा जारी एक तहरीर है जिसमें जारीकर्ता के बयान एवं रिबटल में वादी को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बना इसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता । इस कारण अपील की स्टेज पर इस दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रघुवीरपुरा में स्थित है जिसके बाबत् रेस्पोडेन्ट वादिया ने हक, घोषणा का दावा पेश किया था । अपीलान्ट ने जवाबदावे में यह अंकित किया है कि राजेश बाई रामरतन की पुत्री नहीं है उसका वादग्रस्त आराजी में कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी कालूदास जी के खाते की थी । कालूदास जी के अपीलान्ट छीतरदास और रामरतन पुत्र और अनोप बाई एवं केसरबाई पुत्रियाँ हुई । रामरतन लाऔलाद फौत हुए हैं उनकी पत्नी कान्ता बाई नाते चली गई है । इस कारण वादी एवं प्रतिवादी कम 2 का आराजी में कोई अधिकार नहीं है । रामरतन की मृत्यु दिनांक 30.07. 1975 को हुई थी यह तथ्य अपीलान्ट ने अपने जवाबदावे में अंकित किया है । राजेश बाई ने दावे में वर्ष 2006 में अपनी उम्र 25 वर्ष बताकर पेश किया है जबकि रामरतन की मृत्यु वर्ष 1975 के हो गई थी । राजेश उस समय पैदा नहीं हुई थी, उससे भी यह साबित होता है कि वादिनी रामरतन की पुत्री नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया है । वादिनी ने जो दावा पेश किया है उसकी प्रार्थना में हक, घोषणा की सहायता नहीं मांगी है वरन् वादग्रस्त आराजी का विभाजन मांगा है । अपीलान्ट ने जो जवाबदावा पेश किया है उसमें वादिनी के दावे का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है । वादिनी की माता कान्ता बाई अपने पति को छोडकर उनके जीवनकाल में ही नाते चली गयी थी । रामरतन को बीमार होने पर बून्दी अस्पताल लाया गया और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गयी मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है । चूँकि रामरतन की मृत्यु रास्ते में हुई थी इस कारण अस्पताल से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया । अपीलान्ट की माता ने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी । वादिनी के गवाह पी.डब्ल्यू. 2 ने भी अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रामरतन की अस्पताल लाते समय मृत्यु हो गई थी । अपीलान्ट प्रतिवादी के गवाहों से भी इस तथ्य की ताईद की है कि राजेश बाई रामरतन की पुत्री नहीं है । वादिनी के द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया था वह कूट रचित है । वादिनी की माता कान्ताबाई ने नाता विवाह किया है इस कारण इस आराजी में उनका कोई अधिकार निहित नहीं है एवं वादिनी रामरतन की पुत्री नहीं है इस कारण वादिनी का भी इस आराजी में कोई अधिकार निहित नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1984 पेज 829 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादिनी के द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 एंव 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है और प्रार्थना में विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा एंव अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो प्रदान करने की सहायता मांगी है । वादिनी के पिता का नाम रामरतन है जो कालूदास जी के पुत्र थे । वादिनी के पिता रामरतन जी की वर्ष 1983 में मृत्यु हुई थी और कालूदास जी की मृत्यु वर्ष 1987 में हुई थी । कालू की मृत्यु के समय जो नामान्तरकरण खोला गया था उसमें

छीतरदास एवं धन्नी बाई बेवा का नाम दर्ज किया गया । वादिनी ने होश संभालने के पश्चात् इस नामान्तरकरण को चैलेंज किया और जिला कलक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 13.06.2006 को वादिनी की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार बून्दी को यह निर्देश दिया गया कि जब तक उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में लम्बित वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इस नामान्तरकरण संख्या 181 की कार्यवाही स्थगित रखी जावे । वादग्रस्त आराजी कालू जी के खाते से पक्षकारान के खाते में आई है और तत्समय कालू जी की मृत्यु के बाद गलत रूप से नामान्तरकरण छीतर एवं धन्नी बाई के नाम दर्ज किया गया जबकि कालूदास जी के वारिस होने के नाते उसमें वादिनी और प्रतिवादीगण अनोपबाई और केसरबाई का नाम भी दर्ज होना चाहिए था । अपीलान्ट के द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र वादिनी के पिता रामरतन का वर्ष 1975 का पेश किया गया है वह कूट रचित है क्योंकि रामरतन की मृत्यु बून्दी में नहीं हुई थी इस कारण बून्दी नगरपालिका को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । नगर पालिका के द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेा किया गया है उसमें मृत्यु का स्थान रघुवीरपुरा बताया गया है । मृत्यु का स्थान यदि रघुवीरपुरा था तो नगरपालिका को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । वादिनी रामरतन की पुत्री है इस तथ्य को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से भली–भांति साबित किया है । गवाह गोबरी लाल जो कि स्वतंत्र गवाह है उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि जब रामरतन की मृत्यु हुई तब राजेश बाई 06 माह की थी और राजेश की माता कान्ताबाई प्रभूदास के नाते गई है उसने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि कान्ता बाई रामरतन की मृत्यु के 2– 3 वर्ष पूर्व ही नाते चली गई थी । अपीलान्ट प्रतिवादी के गवाह ने भी इस तथ्य को ताईद किया है कि रामरतन की मृत्यु के बाद कान्ताबाई नाते गई थी । गवाह देवीलाल और सत्यनारायण ने भी यही कथन किया है कि रामरतन की मृत्यु के बाद कान्ताबाई नाते गई है । इस प्रकार दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह भली–भांति स्पष्ट हो गया है कि राजेश बाई रामरतन की पुत्री है । वादिनी ने अपने पक्ष के समर्थन में कुछ छाया चित्र भी पेश किये हैं जिनसे भी यह प्रमाणित हो रहा है कि वादिनी रामरतन की पुत्री है अन्यथा अपीलान्ट प्रतिवादी छीतरदास वादिनी के पति को पैरावनी नहीं देते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 2016 पेज 497, आरआरडी 2013 पेज 309, आरआरडी 1983 पेज 310, आरआरडी 1996 पेज 321, आरआरडी पेज 1996 पेज 328, आरआरडी 1982 पेज 158, आरआरडी 2002 पेज 372, आरआरडी 1984 पेज 712, आरआरडी 1975 पेज 263, आरआरडी 1996 पेज 381, आरआरडी 1973 पेज 724, आरआरडी 1991 पेज 410, डीएनजे 2013 पेज 1806 उद्धरत की ।

11. अपीलान्ट ने रिवटल में निवेदन किया कि नामान्तरकरण खोला जाना एक फिसकल प्रकिया होती है जिससे पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व तय नहीं होते हैं । धन्नी बाई ने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की है उनकी दोनों बहिनों ने उनके पक्ष में रिलीज निष्पादित की है रामरतन लाऔलाद फौत हुआ है । वादिनी के गवाहों ने भी यह कथन किया है कि रामरतन की अस्पताल लाते समय मृत्यु हुई थी वादिनी के द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है वो ग्राम पंचायत हट्टीपुरा के द्वारा जारी किया गया है जबकि वर्ष 1983 में ग्राम पंचायत हट्टीपुरा नहीं बनी थी । ग्राम पंचायत हट्टीपुरा वर्ष 1995 में बनी है । ग्राम पंचायत में मृत्यु का इन्द्राज करने के लिए एक रजिस्टर होता है । वादिनी उस रजिस्टर की प्रति पेश कर सकती थी परन्तु उसके द्वारा पेश नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में उसके द्वारा पेश किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र को सही नहीं माना जा सकता ।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 प्रदर्श– 1 पेश की गयी है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी छीतरदास वल्द कालूदास व धन्नी बेवा कालूदास कौम बाबाजी के खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 223 दिनांक 24.12.1997 से छीतर दास वल्द कालूदास बाबाजी के हिस्सा पर बून्दी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 बून्दी के नाम रहन दर्ज स्वीकार का नोट अंकित है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2 है । नकल जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 प्रदर्श – 3 है जिसमें नया खाता संख्या 18 की कुल 02 किता की 11 बिस्वा आराजी कालू पुत्र मोडूदास कौम बैरागी बाबाजी व नन्दकिशोर पुत्र रामचन्द्र कुम्हावत सा0 देह हि0ब0 खातेदार दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 प्रदर्श– 4 है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 19 खसरा नम्बर 05 की 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि कालू वल्द मोडूदास हि0 1/2 बाबाजी व हरदेव पुत्र मांगीाल हिस्सा 1/2 कोम नायक के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 प्रदर्श– 5 है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 15 की कुल किता 05 की 37 बीघा 07 बिस्वा भूमि कालूदास वल्द मोडूदास कौम बाबाजी के नाम खातेदारी में दर्ज है । ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श– 6, न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय दिनाक 13.06. 2006 प्रदर्श–7, राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 14.10.2010 प्रदर्श– 8, असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श– 9 पेश किये हैं । वादिनी की ओर से बयान राजेशबाई, गोबरी लाल, कविराम कराए गये हैं, बयानों पर नम्बर अंकित नहीं किया गया हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से उपखण्ड अधिकारी बून्दी के आदेश दिनांक 14.03.2007 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 1 असल वसीयतनामा प्रदर्श – 2, अनोप बाई एंव केसरबाई द्वारा निष्पादित रिलीज डीड प्रदर्श– 3, नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्श– 4, जिला कलक्टर बून्दी का आदेश दिनांक 13.06.2006 प्रदर्श– 5, रामरतन का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2006 प्रदर्श–6 के रूप में पेश किये गये हैं और बयान छीतरदास डी.डब्ल्यू. –1, केसरबाई डी.डब्ल्यू. – 2, देवीलाल एवं सत्यनारायण कराए गये हैं । देवीलाल एंव सत्यनारायण के बयानों पर नम्बर अंकित नहीं किया गया है ।

14. वादिनी के द्वारा यह कथन करते हुए वादग्रस्त आराजी में हक, घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी कालूदास जी के खाते से पक्षकारान के खाते में आई है । वादिनी रामरतन की पुत्री है और रामरतन, कालूदास का पुत्र था इस नाते वादग्रस्त आराजी में उसका और उसकी माता का 1/4 हिस्सा निहित है । प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने मुख्य रूप से कथन किया है कि वादिनी रामरतन की पुत्री नहीं है उसकी माता रामरतन की मृत्यु के पूर्व ही नाते चली गई थी इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हित– निहित नहीं है । उभय पक्षकारान द्वारा रामरतन की मृत्यु के दिनांक को लेकर विरोधाभाषी कथन किया जा रहा है । पत्रावली में रामरतन की मृत्यु के 02 प्रमाण पत्र पेश किये गये हैं । एक प्रमाण पत्र वादिनी के द्वारा पेश किया गया है जो ग्राम हट्टीपुरा द्वारा दिनांक 18.02.2006 को जारी किया गया है इसमें रामरतन की मृत्यु ग्राम रघुवीरपुरा में होना बताया है और मृत्यु का दिनांक 05.07.1983 बताया गया है । दूसरा प्रमाण पत्र नगरपालिका बून्दी के द्वारा जारी किया गया है । यह प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2006 को जारी किया गया है और मृत्यु का दिनांक 30.07.1975 बताया गया है व मृत्यु का स्थान रघुवीरपुरा बताया गया है । पत्रावली में वादिनी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श– 6 पेश किया गया है जिस पर प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति भी की गई है जिसमें यह अंकित किया गया है कि रामरतन की एक मात्र पुत्री राजेश बाई है और जो मृत्यु प्रमाण पत्र रामरतन का पंचायत के द्वारा जारी किया गया है वह सही है ।

15. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ पेश किया है जिसके साथ सरपंच के द्वारा जारी एक तहरीर पेश की है जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत हट्टीपुरा द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह सही नहीं है । इस क्रम में हमारा मत है कि दोनों पक्ष इस तथ्य को निर्विवाद रूप से सही स्वीकार करते हैं कि रामरतन की मृत्यु हो चुकी है जहॉ तक मृत्यु के लिए जारी प्रमाण पत्र का प्रश्न है ये दोनों ही प्रमाण पत्र वर्ष 2006 में जारी किये गये हैं । एक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.02.2006 को जारी किया गया है और दूसरा प्रमाण पत्र नगरपालिका के द्वारा दिनांक 22.05.2006 को जारी किया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि नगरपालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का स्थान रघुवीरपुरा अंकित है जबकि यदि मृत्यु का स्थान रघुवीरपुरा है तो नगरपालिका को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है । दोनों प्रमाण पत्र दावा दायर होने के बाद जारी किये गये हैं । मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक के द्वारा मृत्यु के बारे में जो सूचना दी जाती है उसी के आधार पर जारी किया जाता है । इन मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर रामरतन की मृत्यु की तिथ के बारे में संदेह से परे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता वरन् दोनों पत्र इस तथ्य को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि रामरतन की मृत्यु हो चुकी है ।

16. वादिनी ने स्वयं को रामरतन की पुत्री बताते हुए हक, घोषणा का दावा पेश किया है । अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में प्रथम आपत्ति यह कि है कि उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में हक, घोषणा की सहायता नहीं मांगी गई है । परन्तु इस आपत्ति पर हमारा मत यह है कि दावे को समग्र रूप को पढा जावेगा । दावे के शीर्षक में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंकित है और दावे की मद संख्या 1 एवं 7 में उनके द्वारा हक घोषणा की प्रार्थना भी की गई है और प्रार्थना में भी न्यायोचित सहायता प्रदान करने का निवेदन किया गया है ऐसी स्थिति में हम विद्धान अपीलान्ट के अभिभाषक के इस कथन से सहमत नहीं है । इस क्रम में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 1984 पेज 712 यहॉ चस्पा होती है ।

17. अपीलान्ट के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की जा रही है कि रामरतन की पत्नी कान्ता बाई उनके जीवनकाल में ही नाते चली गई थी और वादिनी रामरतन की पुत्री नहीं है इस कारण वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हित– निहित नहीं है । पत्रावली में जो साक्ष्य पेश की गई हैं उनका हमने अवलोकन किया वादिनी की ओर से पेश किये गये गवाह गोबरी लाल ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि राजेश बाई की माता कान्ता बाई प्रभूदास के नाते गई थी यह कथना गलत है कि रामरतन की मृत्यु के 2– 3 वर्ष पूर्व नाते गई थी । यह कथन गलत है कि प्रभूदास से राजेश बाई पैदा हुई है । रामरतन जब मरा था राजेश बाई 06 माह की थी प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये गवाह देवीलाल ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि यह सही है कि रामरतन के मरने के बाद कान्ता बाई उसकी पत्नी नाते चली गयी । प्रतिवादी की ओर से गवाह सत्यनारायण ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि यह सही है कि रामरतन के मरने के बाद कान्ता बाई नाते भेडरोड चली गई थी । इस प्रकार पत्रावली में वादी और प्रतिवादी द्वारा जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उससे यह प्रमाणित होता है कि कान्ता बाई रामरतन की मृत्यु के बाद नाते गई थी और जब रामरतन की मृत्यु हुई तब राजेश बाई 06 माह की थी ।

18. रामरतन की मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित तिथि एवं वादिनी के द्वारा अपने बयानों में बतायी गई आयु के आधार पर अभिभाषक अपीलान्ट यह कथन कर रहे हैं कि वादिनी रामरतन की पुत्री नहीं है परन्तु ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति अपनी सही उम्र नहीं बता पाते हैं और पत्रावली में दो

मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न हैं जिनमें मृत्यु की अलग–अलग तारीखें बताई गई है। ऐसी स्थिति में मृत्यु की सही तिथि का निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता परन्तु पत्रावली में जो बयान वादी और प्रतिवादी की ओर से कराये गये हैं उनसे यह भली–भांति साबित हो रहा है कि रामरतन की मृत्यु के बाद कान्ता बाई उनकी पत्नी नाते गई है ।

19. अभिभाषक अपीलान्ट ने एक नजीर आरआरडी 1984 पेज 829 उद्धरत की है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार यदि विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो पहले पति की सम्पत्ति में उसके अधिकार समाप्त हो जावेंगें । इस क्रम में हमने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का अवलोकन किया क्योंकि पक्षकारान के अधिकार एंव स्वत्व हिन्दू उत्तराधिकार से शासित होंगे । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 04 में यह अंकित किया गया है कि ऐसा कोई भी नियम कानून जो कि इस कानून के लागू होने की तारीख को प्रभावशील था तो ऐसे मामले जिनका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है उनके लिए वो प्रभावहीन हो जावेगा और यदि किसी कानून के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत नहीं हैं तो वो इस अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद हिन्दुओं पर लागू नहीं होंगे । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे अपने प्रथम पति से प्राप्त सम्पत्ति में उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा और हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 की धारा 02 उस पर लागू नहीं होगी । साथ ही धारा 24 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भी पुनर्विवाह के आधार पर रामरतन की पत्नी के अधिकार वादग्रस्त आराजी में समाप्त नहीं किया जा सकते । इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 04, 08 एवं 24 के अनुसार रामरतन की मृत्यु के बाद उसकी विधवा कान्ता बाई के वादग्रस्त आराजी में अधिकार रहेंगे । उसके पुनर्विवाह से उसे अधिकार समाप्त नहीं होंगे। आरआरडी 1984 पेज 829 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्ररिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं ।

20. अपीलान्ट प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में धन्नी बाई की एक वसीयत पेश की है जो प्रदर्श– 2 के रूप में संलग्न है, परन्तु इनका कोई भी गवाह न्यायालय में वसीयत प्रमाणित कराने के लिए पेश नहीं किया है जब तक वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंव भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं हो तब तक वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में धन्नी बाई के हिस्से के बाबत् कोई अधिकार छीतरदास को नहीं दिया जा सकते ।

21. वादग्रस्त आराजी कालूदास जी के खाते से पक्षकारान के खाते में आई है । धन्नी की मृत्यु हो चुकी है । रामरतन की मृत्यु हो चुकी है और उनकी विधवा कान्ता बाई एवं पुत्री राजेश बाई मौजूद हैं । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार छीतरदास, अनोप बाई, केसरबाई एवं रामरतन के वारिस राजेश बाई एवं कान्ता बाई प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अनोपबाई एवं केसरबाई ने छीतर दास के पक्ष में रिलीज डीड का निष्पादित किया है जो असल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 छीतर दास 3/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है और वादिनी और कान्ता बाई 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । वादिनी ने दावा भी इसी अनुसार पेश किया था । दावे की मद संख्या 01 में वादिनी एंव प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित होना अंकित किया गया है । तनकी नम्बर 01 में भी यही अंकित किया गया है कि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 2 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादिनी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया है और 3/4 हिस्से का छीतर दास को खातेदार घोषित किया है । इस बारे में हमारा मत है कि वादिनी और उनकी माता संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और

छीतर दास वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है । वादिनी की माता प्रतिवादी कम 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को चैलेंज नहीं किया है । छीतर दास अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यही कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में राजेश बाई एवं कान्ताबाई का कोई अधिकार नहीं है परन्तु पैरा संख्या 12 से 20 में किये गये विवेचन के अनुसार रामरतन के हिस्से को प्राप्त करने का अधिकार वादिनी एंव प्रतिवादी कम 2 को है । तद्नुसार अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जो अपील पेश की गई है वह सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

22. यदि तर्क के लिए अपीलान्ट के इस कथन को सही मान भी लिया जावे कि राजेश बाई, रामरतन की पुत्री नहीं है तो भी वादग्रस्त आराजी में रामरतन का 1/4 हिस्सा उनकी पत्नी कान्ता बाई को प्राप्त होगा न कि छीतर दास को क्योंकि अपीलान्ट प्रतिवादी के गवाहों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कान्ता बाई, रामरतन की मृत्यु के बाद नाते गयी है ऐसी स्थिति में रामरतन का 1/4 हिस्सा कान्ता बाई को ही प्राप्त होगा न ही छीतर दास को और नाते जाने के आधार पर उनके यह अधिकार समाप्त नहीं होगें । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस 1/4 हिस्से के बाबत् आपत्ति करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

23. कान्ताबाई प्रतिवादी कम 2 न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई है और न ही इस न्यायालय में उपस्थित हुई है । वादग्रस्त आराजी में राजेश बाई के साथ 1/4 हिस्से में संयुक्त रूप से खातेदार घोषित होने के लिए कान्ता बाई विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे । चूँकि यह अपील उनके द्वारा पेश नहीं की गई है ऐसी स्थिति में इस अपील में उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती ।

24. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जाता है ।

25. निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/01

छीतर दास आत्मज कालूदास जाति बाबाजी निवासी रघुवीरपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजेश बाई पुत्री रामरतन पत्नी कविराज जाति बाबाजी निवासी रघुवीरपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. कान्ता बाई विधवा रामरतन जाति बाबाजी निवासी भेसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ ।
3. अनोप बाई पुत्री कालूदास पत्नी जानकी लाल जाति बाबाजी निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. केसर बाई पुत्री कालूदास पत्नी रामलाल जाति बाबाजी निवासी लिलेडा चारणान तहसील तालेडा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बून्दी ।
6. सब रजिस्ट्रार साहब , बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 75/दावा/2016

राजेश बाई पुत्री रामरतन पत्नी कविराज जाति बाबाजी निवासी रघुवीरपुरा तहसील व जिला बून्दी

——वादी

बनाम

1. छीतर दास आत्मज कालूदास जाति बाबाजी निवासी रघुवीरपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. कान्ता बाई विधवा रामरतन जाति बाबाजी निवासी भेसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ ।
3. अनोप बाई पुत्री कालूदास पत्नी जानकी लाल जाति बाबाजी निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. केसर बाई पुत्री कालूदास पत्नी रामलाल जाति बाबाजी निवासी लिलेडा चारणान तहसील तालेडा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बून्दी ।
6. सब रजिस्ट्रार साहब , बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.09.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा, श्री रविन्द्र सहाय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा